कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमन्द

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 मे चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2858/आरपीएससी–2013/17–18/दिनांक 22.02.2018 द्वारा संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर के आदेशांकः– प.1 (6) प्र.सु./अनु.–3/2017 जयपुर, दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1893 /2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 के अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया । साथ ही अधिनस्थ कार्यालयों /विभागों के लिये नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यार्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 जारी की गई , में नियुक्तियाँ आवंटित पदों के संबंध में डी0बी0 अपील सं0 965/2017 आरपीएससी बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन निम्नांकित अभ्यार्थियों को लिपिक ग्रेड– द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) पद पर शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक 28.02.2018 में प्रदत्त निर्देशों एवं शर्तो के अध्याधीन उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन 20–01–06 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनाक 30–10–2017 के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर रूपये 14600/– प्रतिमाह स्थायी पारिश्रमिक (फिक्स रिम्युनरेशन) पद 2 वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते – मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन बोनस आदि देय नही होगें । परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में एक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलैण्डर वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञात की जावेगी । साथ ही परिवीक्षा अवधि प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा एवं राज्य बीमा सामान्य प्रावधायी निधी आदि की कटौती नही होगी नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना की कटौति की जानी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनाक 13–3–06 के प्रावधानुसार दिनांक 20–1–06 के पश्चात नियुक्त कार्मिको को चयनित वेतनमान देय नही होगा । अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम आदि में संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होगा । राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/ दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इनके अभाव में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा मे सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए.II/ 95 दिनांक 8.4. 2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नही होने संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10रू के नोन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधित जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थीयों द्वारा राज्य के बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थीयों से 10रू के नोन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य के बाहर से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नही पायी गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान कार्यग्रहण मूल दस्तावेजों से कराने से पूर्व संस्थाप्रधान अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजायेंगे ।
5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी का नवनीतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो की विवाह के पश्चात बना हुआ हो तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करवाया जावे ।
6. इन अभ्यार्थियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशा निर्देशों के अनुसरण में नियुक्ति नियमानुसार प्रदान की जाती है ।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करने जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र (फोटो) चस्पा है ।
8. चयनित अभ्यर्थीयों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्ययधीन रहते हुए की गई है ।

Scanned by CamScanner

9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उसकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे । अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कार्यग्रहण अवधि बगैर किसी उचित कारण के नहीं बढाई जावेगी ।

10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण इनके जाली अथवा कूटरचीत पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

11 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7 (3) कार्मिक / क–2/06पार्ट/दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त की जावे ।

क्र. स.	मेरिट नं. / रोल नं.	वर्ग	नाम आशार्थी, पिता का नाम व पता	जन्म तिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति आशार्थी का चयन किया गया है	पदस्थापन स्थान
1	1442 / 781550	BC	उमेश चन्द्र लौहार/देवी लाल लौहार , गॉव झूंमा खेडा , पोस्ट –ओलना खेडा , तह0 आमेट , राजसमन्द	05.12.1990	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारणियॉ खेडा ,आमेट
2	4418 / 783314	SC,RG	संजय जीनगर/अमृत लाल जीनगर , मु.पो. लावा सरदारगढ , त. आमेट, राजसमन्द	02.07.1989	SCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महासतियों की मादडी,
3	4827 / 185748	SC	मुकेश कुलदीप/रामदास कुलदीप , ग्रा. पो. नीदड , वार्ड न. 01 , त. आमेर वाया विश्वकर्मा जिला–जयपुर	11.07.1983	SCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय , स्वादडी , देवगढ
4	5712 / 783719	BC,WE	ललीता चौहान/हीरा सिंह चौहान , पोस्ट विजयपुरा , तह0 देवगढ , राजसमन्द	15.07.1991	OBCF	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलवाडा
5	5932 / 782348	GE,HI	कृष्णकान्त औदित्य/लीलाधर औदित्य , ई–4 , जे.के. ग्राम , कांकरोली , राजसमन्द	08.07.1994	GENM	राजकीय माध्यमिक विद्यालय ,सनवाड , राजसमन्द

नोटः– क्रम.स. 4 ललीता चौहान के दस्तावेज सत्यापन इस कार्यालय में कराने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें ।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण करन अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण तथा निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वालो की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे । जिससे कि कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यार्थियों की नियुक्ति निरस्त कर सूचना उच्चाधिकारी को प्रेषित की जा सके । संस्थाप्रधान शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करे।

(भरत कुमार जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक राजसमन्द

क्रमांकः जिशिअ/माध्य/राजस/संस्था–1/आरपीएससी–2013/लिपिक ग्रे–द्वि/नियुक्ति/2018/ 860–870 दिः–08.03.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
7. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा ——————————
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक ——————,
9. संबंधित संस्थाप्रधान ——————————
10 संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा) ....
11 रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक राजसमन्द

Scanned by CamScanner